न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानियां आर.ए.एस.

अनवान -

1. राजीव कुमार पुत्र श्री सुलेखचन्द जाति अग्रवाल निवासी रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी.....

बनाम-

1. जसकरण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 6 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. स्वर्ण सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति रामगढ़िया निवासी 6 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. प्रेमजीत सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति रामगढ़िया निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. जालोर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति रामगढ़िया निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सुखमहेन्द्र सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह जाति रामगढ़िया निवासी लम्बी ढाब तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. श्योतपराम पुत्र श्री मनीराम जाति कुम्हार निवासी 6 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
7. हरदेव सिंह पुत्र श्री मुकन्द सिंह जाति मेघवाल निवासी 6 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थितः- श्री संजय आर्य, विशम्बर तंवर, आकाशदीप लुगरिया
वकील प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6
पैराकार राज तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 01/2018 **निर्णय दिनांक - 16/05/2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

लगातार.....2

जिला कलेक्टर
विजयनगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी के नाम से मुश्तरका खाता में चक 6 ए.एस. का प.नं. 37/44 मु.नं. 20 पड़ता है। प्रार्थी के उक्त रकबा में जमीन का पानी खारा होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं है। इसलिए प्रार्थी अपने रकबा में सिंचाई सुविधा हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के रकबा चक 6 ए.एस. के प.नं. 37/25 के किला नं. 24 में लगे ट्यूबवैल से भूमिगत पाईप लाईन अपने रकबा प.नं. 37/44 तक बिछाना चाहता है। प्रार्थी अपने रकबा में सिंचाई हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रकबा प.नं. 37/25 के किला नं. 24, 25 से होते हुए अप्रार्थी संख्या 3 के रकबा प.नं. 37/34 के किला नं. 1, 9, 10 तथा अप्रार्थी संख्या 4 के रकबा प.नं 37/34 के किला नं. 12, व 18 तथा अप्रार्थी संख्या 5 के रकबा प.नं. 37/34 के किला नं. 18, 19, 22 तथा अप्रार्थी संख्या 6 के रकबा प.नं. 37/35 के किला नं. 3, 4, 7, 14, 15, 16 एवं अप्रार्थी संख्या 7 के रकबा प.नं. 37/43 के किला नं. 21 से होते हुए मुझ प्रार्थी के रकबा प.नं. 34/44 मु.नं. 200 के किला नं. 1 में भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता हूँ। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन की स्वीकृति दी जाने पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। मुझ प्रार्थी को भूमि काश्त करने और सिंचाई पानी लगाने में भारी परेशानी होगी उक्त सभी परेशानियों के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर काश्त करने में परेशानी हो रही है और प्रार्थी की भूमि पर पैदावार भी प्रभावित होगी। जिससे प्रार्थी को आर्थिक क्षति होगी। जिसे मूल्य में आंकना मुश्किल होगा। जब उक्त पाईप लाईन न डालने से प्रार्थी को कई परेशानियों के कारण अपूर्णीय क्षति एवं भारी असुविधा होगी जबकि उक्त पाईप लाईन को स्वीकृत किये जाने पर अप्रार्थीगण को कोई क्षति असुविधा नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम का पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी को अपने रकबा में सिंचाई हेतु अप्रार्थी
संख्या 1 व 2 के रकबा प.नं. 37/25 के किला नं. 24, 25 से होते हुए अप्रार्थी
संख्या 3 के रकबा प.नं. 37/34 के किला नं. 1, 9, 10 तथा अप्रार्थी संख्या 4 के
रकबा प.नं 37/34 के किला नं. 12, व 18 तथा अप्रार्थी संख्या 5 के रकबा प.नं.
37/34 के किला नं. 18, 19, 22 तथा अप्रार्थी संख्या 6 के रकबा प.नं. 37/35
के किला नं. 3, 4, 7, 14, 15, 16 एवं अप्रार्थी संख्या 7 के रकबा प.नं. 37/43
के किला नं. 21 से होते हुए मुझ प्रार्थी के रकबा प.नं. 34/44 मु.नं. 200 के
किला नं. 1 में भूमिगत पाईप लाईन डालने की मंजूरी के आदेश प्रदान करने की
कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया
जाकर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 तथा 4
ता 6 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में दर्ज अभिवचनों से असहमति प्रकट
करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि में अधिकांश कृषि भूमि सिंचित कृषि
भूमि है। उसके पास सिंचाई के अन्य विकल्प उपलब्ध है। इसके साथ साथ प्रार्थी के
पश्चात् अपने कृषि भूमि गैर मुमकिन रास्ता पत्थर नं. 37/25 के किला नं. 24 व
25 प.नं. 37/33 किला नं. 21 ता 25 गैर मुमकिन, प.नं. 37/42 किला नं. 1,

लगातार.......3

Scanned by CamScanner

10, 11, 20, 21 प.नं. 37/43 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। जो कि सीधा है जिससे अन्य किसी प्रार्थीगण के अधिकार प्रभावित नहीं होगे। प्रार्थी द्वारा याचित अनुतोष प्रदत्त करने से अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के हित प्रभावित होगे। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 कि उपरोक्त कृषि भूमि उबड़ खाबड़ है जिसे समतल किया जाना है, जिस में पाईप लाईन डालने के पश्चात् लेवल के अनुसार समतल किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके साथ-साथ अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के जोत के अधिकार प्रभावित होगे व अपनी कृषि भूमि को अपनी आवश्यकताओं तथा कृषि योजनओं जैसें फव्वारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, पानी की डिग्गी आदि प्रभावित होगे। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 उनके लिए अपनी कृषि भूमि के उपयोग करने से वंचित हो जायेगे। अपूर्णीय क्षति होगी। इसके साथ-साथ प.नं. 37/34 के किला नं 1 व 9 में अप्रार्थी के मकान बने है। प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पोषणीय नहीं है तथा प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित आये व अपना सहमति पत्र प्रस्तुत कर पाईप लाईन स्वीकृत करने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 7 भी स्वयं उपस्थित आये तथा पाईप लाईन स्वीकृति हेतु कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। पैराकार राज की तरफ से पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 6 ए.एस. के मु.नं. 37/44(200) में राजीव कुमार वगैरा पि. सुलेखचन्द्र जाति अग्रवाल सा. रायसिंहनगर खातेदारान के नाम 4.301 है. क./अ. क. मय खाला दर्ज रिकॉर्ड जमाबन्दी है। राजीव कुमार अपने रकबे में मु.न. 37/25(161) के किला नं. 24 में स्थित टयूबवैल से किला नं. 24, 25 से मु.नं. 37/34 के 1, 10, 11, 20, 21 एवं मु.नं. 37/35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 25 में से होते हुए पाईप लाईन ले जाना चाहता है। मुताबिक पुछताछ व मौका जांच मु.नं. 37/34 के खातेदार प्रेमजीत सिंह, जालौर सिंह, महेन्द्र सिंह पि. धर्म सिंह जाति जटसिख सा. लम्बीढाब ने पाईप लाईन ले जाने से एतराज प्रकट किया है। व मु.नं. 37/35 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 24 में सरसों की फसल काश्त की हुई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन प्रार्थी की भूमि के निकटतम है। प्रार्थी के रकबा को चाहे जा रहे पाईप लाईन के अलावा अन्य कोई पाईप लाईन नहीं लगती है। प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन की स्वीकृति आवश्यक प्रतीत होती है। प्रार्थी द्वारा जिस रास्ते से पाईप लाईन चाही जा रही है उसके अलावा अन्य कोई निकटतम एंव सुगम पाईप लाईन नहीं डाली जा सकती। मुताबिक पुछताछ व मौका जांच पाया कि उक्त पाईप लाईन बिछाने में मु.नं. 37(169) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 के खातेदार जालोर सिंह, सुखमहेन्द्र सिंह, प्रेमजीत सिंह पि. धर्म सिंह जाति जटसिख ने ऐतराज प्रकट किया है। शेष खातेदारान ने सहमति प्रकट की है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों पर बहस हुई। बहस पर मनन किया गया एवं रिपोर्ट पटवारी का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना

लगातार........4

उपजिला कलेक्टर
विजयनगर

पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए उक्त पाईप लाईन की आवश्यकता है। तथा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार पाईप लाईन स्वीकृत करने में अपनी सहमति जाहिर की है। अतः चक 6 ए.एस. के मु.नं. 169 प.न. 37/25 के किला नं. 24 में स्थित ट्यूबवैल से किला नं. 24, 25 से मु.नं. 169 प.नं. 37/34 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 एवं प.नं. 37/35 किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 25 में से होते हुए पाईप लाईन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत संशोधित रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई पाईप लाईन चक 6 ए. एस. के मु.न. 37/25(161) के किला नं. 24 में स्थित ट्यूबवैल से किला नं. 24, 25 से मु.नं. 37/34(169) के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 एवं मु.नं. 37/35(194) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 व 21 ता 25 में से होते हुए पाईप लाईन उतर से दक्षिण दिशा की ओर मुरब्बा लाईन के साथ साथ तीन फीट भूमि के नीचे तथा स्वीकृत शुदा रास्ता मु.नं. 37/35(194) के किला नं. 21 ता 25 पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी के रकबे तक स्वीकृत की जाती है। अप्रार्थीगण की खडी फसल के नुकसान की भरपाई प्रार्थी द्वारा की जायेगी तथा प्रार्थी पाईप लाईन के रास्ते में आई आधा बिस्वा भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर के अनुसार भूमि की डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि अप्रार्थीगण को देगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा बिछाई गई पाईप लाईन के रास्ते में आई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि अप्रार्थीगण को दिलवाकर नियमानुसार पाईप लाईन के रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न करने की शर्त पर पाईप लाईन स्वीकृति की पालना सुनिश्चित करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16/05/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तालनिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner